न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ आर.ए.एस. अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 10/2017 जिला टोंक

रामप्रसाद बनाम बृजमोहन बगैरह

1. रामप्रसाद पुत्र हरजी
2. रामधन पुत्र रामप्रसाद
3. सागर पुत्र रामधन

समस्त जाति कारीगर कुमावत निवासी करेड़ा बुजुर्ग निवाई जिला टोंक।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण(मृतक) जरिये वारिसान रामलाल, मांगीलाल ,आशा
2. .मनसुख पुत्र जगदीश नारायण
3. राधामोहन पुत्र शिव सहाय (मृतक) जरिये वारिसान चम्पा पत्नि स्व0 राधामोहन
4. रामजीलाल पुत्र श्योराम
5. रामसहाय पुत्र श्योराम

समस्त जाति कारीगर कुमावत निवासी करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक।

6. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उपतहसीलदार कार्यालय दत्तवास, तहसील निवाई जिला टोंक।

....रेस्पोडेन्ट्स

अभि0– हेमराज गुप्ता, दीपक पारिक

दिनांकः–30.09.21

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी जी, निवाई दिनांक 03.01.2017 अपील संख्या 05/2016 बउनवानी बृजमोहन बनाम रामप्रसाद।

संक्षेप्त में अपील के तथ्य निम्नानुसार है कि बृजमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण, मनसुख पुत्र जगदीश नारायाण , राधामोहन पुत्र शिवसहाय, रामजीलाल पुत्र श्योराम, राजेश पुत्र रामकरण, रामसहाय पुत्र श्योराम सभी जाति कुमावत निवासी करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक के द्वारा रामप्रसाद पुत्र हरजी , रामधन पुत्र रामजीलाल , सागर पुत्र रामधन सभी जाति कुमावत निवासी करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक एव नायब तहसीलदार दत्तवास के विरूद्ध एक अपील नामांतकरण संख्या 1409 दिनांक 21.01.2016 के विरूद्ध दायर की तथा उक्त नामांतकरण को निरस्त करने हेतु उपखण्ड न्यायालय निवाई में पेश की। जिसके अनुसार अपीलांट और रेस्पोडेंड नं. 1 सहखातेदार काश्तकार थे। अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेंड के नं 1 से खसरा नं 926 में उसका जो आधा हिस्सा बनता है। उसका 1/3 भाग तथा खसरा नं 916,917 में रेस्पोडेंड नं 1 का 1/3 हिस्सा अपीलांट नं 1 व 6 तथा अपीलांट नं 2 व 3 के पिता तथा 4 व 5 के पि[illegible] हजार रूपये में क्रय कर दिया। तथा कब्जा कर लिया। रेस्पोडेंड नं 1 के [illegible]च होने से उसने बाद में रजिस्ट्री नहीं करवायी। रेस्पोडेंड नं 1 द्वारा अपने हिस्से की दि[illegible] 03.11.2015 को रजिस्टर्ड दानपत्र द्वारा अपने ही पोत्र सागर पुत्र रामधन के पक्ष में रजि[illegible] करवा दी। नामांतकरण संख्या 1409 दिनांक 21.01.2016 से नायब तहसीलदार दत्तवास [illegible] रामप्रसाद पुत्र हरजी कुमावत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:02 IST
Reason: SelfAttested

स्थान पर सागर कुमावत पुत्र रामधन कुमावत भर दिया गया। जिससे निरस्त करवाया जाना आवश्यक है।

सिविल कोर्ट में अपीलांट द्वारा दानपत्र निरस्त करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रकरण दर्ज करवाया। इसी प्रकरण से संबंधित टी आई नं 87/15 में दिनांक 08.01.2016 को पक्षकारान को पाबन्द कर दिया गया था कि रिपॉर्ट में किसी प्रकार का बदलाव ना करे। विवादित नामांतकरण 1409 दिनांक 21.01.2016 को खोला गया जो सिविल कॉर्ट के यथास्थिति आदेश के विरूद्ध है।

उक्त अपील 5/2016 को उपखण्ड अधिकारी निवाई ने सिविल कोर्ट के आदेश के आधार पर निर्णय देते हुए नामांतकरण संख्या 1409 दिनांक 21.01.2016 को निरस्त कर दिया।

वकील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र उक्त अपील संख्या 10/2017 की सुनवाई कैम्प को टोंक की जगह अजमेर मुख्यालय पर सुनवाई करने एवम्` एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया। जिसमे मुख्य रूप से यह कहा गया कि पक्षकारों के मध्य लोकअदालत में सिविल प्रकरण में राजीनामा हो गया है अतः जल्द सुनवाई हेतु टोंक की जगह मुख्यालय अजमेर में सुनवाई की जाये। उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए शीघ्र न्याय हेतु जल्दी एवं राजीनामा को देखते हुए प्रकरण की सुनवाई अजमेर मुख्यालय पर करने बाबत् प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4,9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया है। तथा निवेदन किया कि रेस्पोडेंड संख्या 1 बृजमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण तथा रेस्पोडेंड 3 राधामोहन पुत्र शिवसहाय का निधन हो चुका है। जिनके वारिसान क्रमशः रामलाल , मांगीलाल , आशा वारिसान बृजमोहन तथा चम्पा पत्नि राधामोहन अतः उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाये। तथा अबेटमेंट को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेंड 1 व 3 के वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जाये। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे रामधन पुत्र रामसहाय द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाये। पत्रावली का अवलोकन किया गया चूंकि आदेश 22 नियम 4,9 को देखा गया । चूंकि इसमें एक से ज्यादा रेस्पोडेंड है और प्रकरण पर राजीनामा भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में मृतक रेस्पोडेंड के वारिसान को देरी से पत्रावली पर लाए जाने की समया अवधि को क्षमा किया जा सकता है। अतः अबे़टमेंट को क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा रेस्पोडेंट 1 व 3 के वारिसान को पत्रावली पर लिये जाने का आदेश जारी किया जाता है।

वकील अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सिविल कोर्ट निवाई में प्रकरण संख्या 91/15 बृजमोहन बनाम रामप्रसाद में दिनांक 07.04.2021 को राजीनामा हो चुका है। तथा राजीनामें को तश्दीक करके राजीनामे के अनुसार डीक्री जारी कर दी है। पक्षकार अब अपील का निस्तारण भी उक्त राजीनामें की रोश्नी में करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रकरण संख्या 91/15 में संविदा पालना एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा सिविल न्यायालय निवाई में किया गया है बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

संक्षेप्त में तथ्य निम्नानुसार है कि बृजमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण, मनसुख पुत्र जगदीश नारायाण , राधामोहन पुत्र शिवसहाय, रामजीलाल पुत्र श्योराम, राजेश पुत्र रामकरण, रामसहाय पुत्र श्योराम सभी जाति कुमावत निवासी करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक के द्वारा रामप्रसाद पुत्र हरजी , रामधन पुत्र रामजीलाल , सागर पुत्र रामधन सभी जाति कुमावत निवासी करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक एव नायब तहसीलदार दत्तवास के विरूद्ध एक अपील नामांतकरण संख्या 1409 दिनांक 21.01.2016 के विरूद्ध दायर की तथा उक्त नामांतकरण को निरस्त करने हेतु उपखण्ड न्यायालय निवाई में पेश की। जिसके अनुसार अपीलांट और रेस्पोडेंड नं. 1 सहखातेदार [illegible] के द्वारा रेस्पोडेंड के नं 1 से खसरा नं 926 में उसका जो आधा हिस्सा बनता है व उसका 1/3 भाग तथा खसरा नं 916,917 में रेस्पोडेंड नं 1 का 1/3 हिस्सा अपीलांट नं 1 व 6 तथा अपीलांट नं 2 व 3 के पिता तथा 4 व 5 के पिता द्वारा इकरारनामें से चौबीस हजार रूपये में क्रय कर दिया। तथा कब्जा कर लिया। रेस्पोडेंड नं 1 के मन मे लालच होने से उसने बाद में रजिस्ट्री नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:02 IST
Reason: SelfAttested

करवायी। रेस्पोडेंड नं 1 द्वारा अपने हिस्से को दिनांक 03.11.2015 को रजिस्टर्ड दानपत्र द्वारा अपने ही पोत्र सागर पुत्र रामधन के पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी। नामांतकरण संख्या 1409 दिनांक 21.01.2016 से नायब तहसीलदार दत्तवास द्वारा रामप्रसाद पुत्र हरजी कुमावत के स्थान पर सागर कुमावत पुत्र रामधन कुमावत भर दिया गया। जिससे निरस्त करवाया जाना आवश्यक है।

सिविल कोर्ट में अपीलांट द्वारा दानपत्र निरस्त करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रकरण दर्ज करवाया गया। इसी प्रकरण से संबंधित टी आई नं 87/15 में दिनांक 08.01.2016 को पक्षकारान को पाबन्द कर दिया गया था कि राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का बदलाव ना करे। इसके बावजूद विवादित नामांतकरण 1409 दिनांक 21.01.2016 को खोला गया जो सिविल कोर्ट के यथास्थिति आदेश के विरूद्ध है।

उक्त अपील 5/2016 में उपखण्ड अधिकारी निवाई ने सिविल कोर्ट के आदेश के आधार पर निर्णय देते हुए नामांतकरण संख्या 1409 दिनांक 21.01.2016 को निरस्त कर दिया। जिसकी द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में 10/2017 नं से विचाराधीन है। जिसमें वकील अपीलांट द्वारा सिविल कोर्ट में किए गए राजीनामें के आधार पर अपील निस्तारित करने की बात कही है।

राजीनामें के अनुसार खसरा नं 926 जो वर्तमान में रेस्पोंडेंड नं 1 से 3 कब्जेकाश्त व खातेदारी की है। वादीगण नं 3 से 6 को 1 बीघा 16 बीस्वा में से 1 बीघा 4 बीस्वा की रजिस्ट्री करवायेगे। इसी प्रकार प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि 916 मे से 10 बीस्वा , 917 मे से 10 बीस्वा खसरा नं 918 में से 4 बिस्वा का विक्रय पत्र वादी नं 1 के वारिसान रामलाल, मांगीलाल, आशादेवी तथा वादी नं 2 मनसुख के नाम रजिस्ट्री करवा दे।

वर्तमान अपील का मुख्य आधार इकरारनामा दिखाई पड़ता है जिसे संपादित नहीं किया गया है इसके आधार पर रजिस्ट्री नही की गई जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील एवं इसके बाद द्वितीय अपील की गई है। राजस्व न्यायालय इकरारनामें के आधार पर कोई अनुतोष पक्षकार को नहीं दे सकते है। इसके लिए संबंधित को सिविल कोर्ट से ही अनुतोष प्राप्त हो सकता है। इस प्रकरण में वस्तुतः यही हुआ है सिविल कोर्ट में राजीनामा हो चुका है। उस राजीनामें के आधार पर संबंधित पक्ष को रजिस्ट्री करवानी है जिससे बाद में नामांतकरण खुल सकेगा। इस न्यायालय द्वारा पृथक से कोई कार्यवावही किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पक्षकार सिविल न्यायालय में हुए राजीनामें का सम्मान करते हुए पक्षकार रजिस्ट्री करवाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया दिनांक 10.02.2017 को न्यायालय हाजा प्रस्तुत होने पर राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया गया। चूंकि उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा अन्य सिविल न्यायालय के समक्ष हो चुका है। तथा पक्षकारान उसी राजीनामें के आधार पर पत्रावली का निस्तारण चाहते है। अतः राजीनामें की रोशनी में प्रथम अपील में उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा नामांतकरण संख्या 1409 दिनांक 21.01.2016 जिसको सिविल न्यायालय निवाई के आदेश के विपरित होने से खारिज कर दिया गया था। अब राजीनामें के आधार पर यह उचित है कि नामांतकरण संख्या 1409 दिनांक 21.01.2016 को जो कि दानपत्र के आधार पर नायब तहसीलदार दत्तवास द्वारा खोला गया था, को अपहोल्ड किया जाए। पत्रावली उक्तानुसार फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:02 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय निवाई में दिनांक 07.04.2021 को प्रकरण संख्या 91/15 राजीनामा डीक्री के आधार पर ग्राम करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक के खसरा नं 926 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं 916 रकबा 6 बीघा 10 बीस्वा, खसरा नं 917 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं 918 रकबा 14 बिस्वा में दर्शाये गये खसरों व उसमें से कितना रकबा बाबत् रजिस्ट्री करवायी जायेगी का उल्लेख है, उस हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। साथ ही सिविल कॉर्ट के आदेश की अवेहलना के बावजूद खोले गए नामांतकरण संख्या 1409 दिनांक 21.01.2016 जिससे उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा दिनांक 03.01.2017 को खारिज किया गया था को राजीनामे की रोशनी के आधार पर पुनः रजिस्ट्रर्ड दानपत्र के अनुसरण में सागर पुत्र रामधन कुमावत के पक्ष में नामांतकरण को यथावत किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर।

.....

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:02 IST
Reason: SelfAttested